



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082022-237922
CG-DL-E-04082022-237922

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3533]
No. 3533]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 4, 2022/श्रावण 13, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 4, 2022/SHRAVANA 13, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2022

का.आ. 3700(अ).—केंद्रीय सरकार, सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 17 (च) और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 और सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के सदस्यों के रूप में निम्नलिखित विशेषज्ञों की नियुक्ति को अधिसूचित करती है:-

- (क) डॉ. नितिज मुर्दिया, भ्रूणविज्ञानी;
- (ख) डॉ. शुभा फडके, चिकित्सा आनुवंशिकीविद;
- (ग) डॉ. नीता सिंह, स्त्री रोग विशेषज्ञ और प्रसूति रोग विशेषज्ञ;
- (घ) डॉ. आर. जी. पटेल, स्त्री रोग विशेषज्ञ और प्रसूति रोग विशेषज्ञ;
- (ङ) श्रीमती एन. ललिता, सामाजिक वैज्ञानिक।

[फा. सं. यू.11019/131/2022-एचआर]

गीता नारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health Research)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th August, 2022

S.O. 3700(E).—In exercise of the power conferred by Section 17(f) of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 and Section 3 of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021, the Central Government hereby notifies the appointment of following Experts as Members of the National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board for the purposes of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 and the Surrogacy (Regulation) Act, 2021:-

- (a) Dr. Nitiz Murdia, Embryologist;
- (b) Dr. Shubha Phadke, Medical Geneticist;
- (c) Dr. Neeta Singh, Gynaecologist and Obstetrician;
- (d) Dr. R. G. Patel, Gynaecologist and Obstetrician;
- (e) Smt. N. Lalitha, Social Scientist.

[F. No. U.11019/131/2022-HR]

GEETA NARAYAN, Jt. Secy.